APP-A
Circl-4

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अब अदालत न्याया० जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
मुकाम

किशन लाल चौधरी बनाम सक्षम प्राधि० SDO गंगापुर वगैरह ·

किस्म मुकदमा निगरानी (रिव्यू) नं. 07/17 सन 2017 ·

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/6/2017	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने बताया कि अवाप्ताधीन भूमि वाणिज्यिक संपरिवर्तित होकर मौके पर पैट्रोल पम्प हेतु थी परन्तु मुझ प्रार्थी को जो अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा दिया गया वह पुराने अधिनियम के अन्तर्गत दिया। निर्णय दिनांक 30-9-2016 में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 के प्रावधानों, राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के आदेश दि० 16-10-2014 एवं परिपत्र दिनांक [illegible]2/2015 में दिए निर्देशानुसार ~~[illegible]~~ निर्णय में प्रतिकर निर्धारण करने हेतु देखा नहीं गया। इस सम्बन्ध में RRD-2014 पेज 690 में पारित निर्णय अनुसार अधिनियम 2013 दिनांक 1-1-2014 से लागू किए जाने से संशोधित अवार्ड हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। बहस में राजकीय अभिभाषक का कथन है कि	

जिला कलक्टर

(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी के द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए हैं वे अपील या रेफरेन्स के माध्यम से तय किए जाने हैं इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से कोई राहत पाने के अधिकारी नहीं है। दिनांक 28/9/2012 को 3 ए की अधिसूचना जारी होकर इस दिनांक को प्रचलित डीएलसी दर के अनुसार गणना करते हुए अवाप्तीधीन भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाकर प्रार्थी के खाते में भी जमा कराया जा चुका है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शीता का अधिकार अधिनियम-2013 के प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 में भूमि अवाप्ति हेतु निर्धारित किए गए प्रतिकर के लिए दिनांक 1-1-2015 के पश्चात जारी किए गए अवार्ड में संशोधन हेतु लागू किया गया है। ऐसी स्थिति में यह रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष की बहस के तथ्यों व पेश दस्तावेजों पर मनन किया गया। प्रार्थी की मुख्य आपत्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शीता का अधिकार अधिनियम-2013 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मुआवजा

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(3)

पु०सं० रिव्यू प्रा०पत्र 7/2017

श्री किशनलाल चौधरी बनाम सक्षम प्राधि०, SDO गंगापुर वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिलाया जावे।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की ग्राम गुढा का खेड़ा तहसील सहाडा में स्थित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 के तहत अवाप्त करते हुए प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के द्वारा अवार्ड संख्या भूमि अवाप्ति/चारलेन/2014/प्रति०निर्धा०/45 दिनांक 25/5/2016 राशि 6151587/- रूपया जारी किया गया है। प्रार्थी के द्वारा पेश उद्धरण RRD-2014 पेज 690 यहां पर लागू नहीं होती है क्योंकि उक्त उद्धरण भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के तहत जारी अवार्ड पर अधिनियम-2013 को दि० 1-1-2014 से लागू किया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 के तहत उक्त प्रकरण में कार्यवाही होने से यह 2013 का अधिनियम दिनांक 1-1-2015 से प्रभावी किया गया है ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30/9/2016 के क्रम में जारी संशोधित अवार्ड क्रमांक भूमि अवाप्ति/चारलेन/2014/प्रति०निर्धा०/45 दिनांक 25/5/2016 में संशोधन उचित प्रतीत नहीं होता है। विस्तृत विवेचन निर्णय दिनांक 30/9/2016 में किया जा चुका है। राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग से जारी परिपत्र दि० 2-2-2015 एवं 16-10-2014 में दिए गए निर्देश राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956

(4)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जिला कलक्टर भीलवाड़ा	के तहत जारी किए गए अवार्ड पर किसी तरह लागू नहीं होंगे क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 को भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र की चौथी अनुसूची में शामिल करते हुए दिनांक 1-1-2015 से प्रभावी किया है। अतः उक्त रिव्यू प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 7/6/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	